



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025- ADMN

स्थापना आदेश सं.: 05/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

निरीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	निरीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री प्रिंस मेहरचंदानी	30.06.1988	कार्यग्रहण पर (डीजीजीआई, जयपुर से ऋण आधार से वापसी पर)	अंकेक्षण, जयपुर (जयपुर के अतिरिक्त)
2.	श्री गौरव कुमावत	16.03.1988	कार्यग्रहण पर (डीजीजीआई, जयपुर से ऋण आधार से वापसी पर)	अंकेक्षण, जयपुर (जयपुर के अतिरिक्त)
3.	श्री संदीप कुमार ओला	21.04.1992	डीआरआई, जयपुर (मु.आ.का. से ऋण आधार पर)	सीजीएसटी, अलवर
4.	श्री नितीश दूनियाल	10.06.1990	सीजीएसटी, जयपुर	डीजीजीआई, जयपुर (सीजीएसटी, जयपुर से ऋण आधार पर)

2. क्रम सं. 1 से 3 पर दर्शाए गए अधिकारियों को आज दिनांक 09.02.2026 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वह अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में तुरंत कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण - जयपुर/ अंकेक्षण - जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/ अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

2. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, जयपुर।
3. अपर निदेशक, डीआरआई, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि क्रम सं. 3 पर दर्शाए गए अधिकारी को दिनांक 09.02.2026 (अपरान्ह) से कार्यभार मुक्त समझा जावे।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी।
6. निरीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
7. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।